न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका(झारखण्ड)

वाद सं0– 145 / 14

सोनाराम हेम्ब्रम बनाम बाहा मुर्मू

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
	2	3
22-6-15	आदेश प्रस्तुत कार्रवाई आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ करते हुए अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन एवं विपक्षी से कारणपृच्छा की मांग की गई। अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त एवं विपक्षी से कारणपृच्छा प्राप्त। मौजा–गोलपुर के जमाबंदी नं0–42 जिसका विवरण आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित है। उक्त भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् कार्रवाई प्रारम्भ करने के बिन्दु पर पक्षकारों का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। विषयगत भूमि गैंजर खतियान में चुड़का मुर्मू एवं अन्य का नाम दर्ज है। प्रथम पक्ष चुड़का मुर्मू की पुत्री बालकी मुर्मू की शादी घरजमाई के रूप में जलपा हेम्ब्रम के साथ होने के आधार पर विषयगत भूमि पर दखल कब्जा का दावा करते है जबकि द्वितीय पक्ष ठाकुर मुर्मू के पुत्र सोकोल मुर्मू के वारिशान होने के आधार पर दखल कब्जा करने का दावा करते है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मामला पक्षकारों के बीच दखल कब्जा का नहीं बल्कि हक एवं अधिकार से संबंधित है, जिसका निपटारा द0प्र0स0 की धारा 144 की कार्यवाही में संभव नहीं है। अतः इसे निरस्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। ह०/- ह०/- अनु0पदा0 अनुमंडल पदाधिकारी दुमका।	